

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1244
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी श्रमिकों संबंधी आँकड़े

1244. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई नामित एवं समय-समय पर अद्यतन किया जाने वाला डेटाबेस उपलब्ध है, यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में राज्य-वार तथा लिंग-वार ब्यौरा दर्शाते हुए तत्संबंधी आवधिकता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तथा विजयनगरम जिलों से खाड़ी देशों में गए प्रवासी श्रमिकों को वेतन न मिलने, मानव तस्करी आदि समस्याओं के समाधान हेतु कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इन प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों तथा उनके संचालन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ग) मंत्रालय उन भारतीय कामगारों का डाटा रखता है, जो उत्प्रवासन जांच अपेक्षित पासपोर्ट (ईसीआर) धारक हैं और जो ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देश में नौकरी के लिए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश के उत्प्रवासियों को प्रदान की गई उत्प्रवासी अनापत्ति (ईसी) की संख्या के देश-वार और जेंडर-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:

आंध्र प्रदेश में 01.01.2021 से 31.12.2025 तक जेंडर के अनुसार ईसी की गणना		
वर्ष	जेंडर	ईसी गणना
2021	महिला	998
2021	पुरुष	4484
2022	महिला	4704
2022	पुरुष	14643
2023	महिला	3287
2023	पुरुष	13100
2024	महिला	4807
2024	पुरुष	11808
2025	महिला	5787
2025	पुरुष	12583
	कुल	76201

भारत सरकार, विदेश में आंध्र प्रदेश के कामगारों सहित भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यदि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता होती है तो उन्हें

दूतावास / कौंसलावास तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित चैनल हैं। वे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24-7 आपातकालीन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद / सीपीग्राम / ई-माइग्रेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दूतावास / कौंसलावास से संपर्क कर सकते हैं। विदेशों में उन भारतीय मिशनों / केन्द्रों में ऐसे मामलों को संभालने के लिए समर्पित श्रम विंग मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय कामगार हैं। भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भारतीय मिशन / केन्द्र नियमित रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में ओपन हाउस और कौंसली कैंप आयोजित करते हैं ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। उत्प्रवासी से या उसकी ओर से शिकायत प्राप्त होने पर, इसे सक्रिय रूप से संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। रोजगार संबंधी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ भी उठाया जाता है।

इसके अलावा, महिला घरेलू क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित 19 ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय महिला कामगारों की भर्ती के लिए राज्य संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को ही अधिकृत किया है। इसके अलावा, विदेशी रोजगार के लिए ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक महिला कामगारों को शोषण से बचाने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।

विदेश में दूतावास / कौंसलावास समय-समय पर संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, प्रमुख सहायता में भोजन और आवास, भारत के लिए हवाई मार्ग, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत को पार्थिव शरीरों का परिवहन, और छोटे जुमाने और शास्ति का भुगतान शामिल है।
